होल्डिंग टैक्स के ब्याज व जुर्माना लगाने के खिलाफ होगा आंदोलन

प्रतिनिधि, कांटी

नगर परिषद स्थित कस्बा मवि में रविवार को नागरिक अधिकार मंच के तत्वाधान में नगर परिषद वासियों के द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया. आंदोलन में लोगों ने होल्डिंग टैक्स के ब्याज और जुर्माना के नोटिस को अवैध और अवैधानिक बताया. सभी लोग इसे मनमानी और निरंकुशता से भरा निर्णय बताया और महापंचायत में सर्व सम्मति से इसके खिलाफ आन्दोलन का निर्णय लिया गया. इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मंच के संरक्षक सह प्रवक्ता सम्राट कुमार ने बताया कि पूर्व में

- नगर निकाय की आडिट रिपोर्ट में कई बार गड़बड़ी होने का आरोप
- महापंचायत में जनता के हितों की लड़ाई में पीछे नहीं हटने का निर्णय

कांटी नगर निकाय के आडिट रिपोर्ट में कई गड़बड़ी प्रमाणित हुआ है. जिसमें होल्डिंग टैक्स की राशि को बसूल कर जमा नहीं किया गया है. आडिट रिपोर्ट की कंडिका 3 में आडिटर ने होल्डिंग टैक्स के बिल के बिना 4.51 लाख की वसूली पर भी सवाल उठाया गया था. आडिटर ने बिना बिल के वसुली के आधार की सत्यता पर सवालिया निशान उठाने के बाबजूद एक बार फिर से बिना



महापंचायत में मौजूद लोग

नगरपालिका अधिनयम 2007 के धाराओं को प्रक्रियागत किए सीधा ब्याज और जुर्माना के नोटिस को देना कार्यपालक पदाधिकारी के अयोग्य होने एवं पद के दुरूपयोग का विषय बताया. नगर निकाय के पूर्व उपाध्यक्ष सह मंच के अध्यक्ष महेश प्रसाद साह ने अपने कार्यकाल में नगर निकाय की कार्यशैली की जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान कार्यपालक पूर्व में भी कांटी में पदस्थापन के दौरान नियमों से खिलवाड़ करते थे. जिसके खिलाफ उन्होंने नगर निकाय के बैठक में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव तक लाया था.

महापंचायत के निर्णय के अनुसार जनता के हितों की लड़ाई अब आगे बढ़ चुकी है जिसमें बिना न्याय मिले रुकना नहीं है. वहीं अधिवक्ता सह मंच के संरक्षक मनीष कुमार ने कहा कि यह लड़ाई अफसरशाही के खिलाफ है जिसमें जनता के साथ जनता है और अफसरों के साथ जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि है. लेकिन लोकतंत्र में अंतिम जीत हमेशा जनता की होती है. उन्होंने कहा कार्यपालक पदाधिकारी के साथ साथ जनप्रतिनिधियों की भी जवाबदेही है कि वे ऐसा कोई कार्य नहीं होने दे जो जनहित में नहीं है. वहीं पिछले देर रात नगर परिषद कार्यालय से विज्ञप्ति जारी कर होल्डिंग टैक्स को लेकर कार्यालय से संपर्क करने को कहा गया है. संघर्ष के लिए जारी रखने के उद्देश्य से सम्राट कुमार, मनीष कुमार एवं महेश चौधरी को मंच का संरक्षक, महेश प्रसाद साह को अध्यक्ष; रमण प्रसाद, मदन प्रसाद, सुरेन्द्र चौधरी, मनोज कुमार शर्मा, शैलेंद्र कुमार चौधरी, ललित झा, राजकिशोर ठाकुर को उपाध्यक्ष बनाया गया.

प्रभात खबर Mon, 08 January 2024
https://epaper.prabhatkhabar.com/c/74290151

होल्डिंग टैक्स के ब्याज व जुर्माना लगाने के खिलाफ होगा आंदोलन

प्रतिनिधि, कांटी

नगर परिषद स्थित कस्बा मवि में रविवार को नागरिक अधिकार मंच के तत्वाधान में नगर परिषद वासियों के द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया. आंदोलन में लोगों ने होल्डिंग टैक्स के ब्याज और जुर्माना के नोटिस को अवैध और अवैधानिक बताया. सभी लोग इसे मनमानी और निरंकुशता से भरा निर्णय बताया और महापंचायत में सर्व सम्मति से इसके खिलाफ आन्दोलन का निर्णय लिया गया. इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मंच के संरक्षक सह प्रवक्ता सम्राट कुमार ने बताया कि पूर्व में

नगर निकाय की आडिट रिपोर्ट में कई बार गड़बड़ी होने का आरोप महापंचायत में जनता के हितों की

लड़ाई में पीछे नहीं हटने का निर्णय

कांटी नगर निकाय के आडिट रिपोर्ट में कई गड़बड़ी प्रमाणित हुआ है. जिसमें होल्डिंग टैक्स की राशि को बसूल कर जमा नहीं किया गया है. आडिट रिपोर्ट की कंडिका 3 में आडिटर ने होल्डिंग टैक्स के बिल के बिना 4.51 लाख की वसूली पर भी सवाल उठाया गया था. आडिटर ने बिना बिल के वसुली के आधार की सत्यता पर सवालिया निशान उठाने के बाबजूद एक बार फिर से बिना

महापंचायत में मौजूद लोग

नगरपालिका अधिनयम 2007 के धाराओं को प्रक्रियागत किए सीधा ब्याज और जुर्माना के नोटिस को देना कार्यपालक पदाधिकारी के अयोग्य होने

Mon, 08 January 2024 प्रभात खबर https://epaper.prabhatkhabar.com/c/74290151

एवं पद के दुरूपयोग का विषय बताया. नगर निकाय के पूर्व उपाध्यक्ष सह मंच के अध्यक्ष महेश प्रसाद साह ने अपने कार्यकाल में नगर निकाय की कार्यशैली

की जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान कार्यपालक पूर्व में भी कांटी में पदस्थापन के दौरान नियमों से खिलवाड़ करते थे जिसके खिलाफ उन्होंने नगर निकाय के बैठक में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव तक लाया था.

महापंचायत के निर्णय के अनुसार जनता के हितों की लड़ाई अब आगे बढ़ चुकी है जिसमें बिना न्याय मिले रुकना नहीं है, वहीं अधिवक्ता सह मंच के संरक्षक मनीष कुमार ने कहा कि यह लड़ाई अफसरशाही के खिलाफ है जिसमें जनता के साथ जनता है और अफसरों के साथ जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि है. लेकिन लोकतंत्र में अंतिम जीत हमेशा

जनता की होती है. उन्होंने कहा कार्यपालक पदाधिकारी के साथ साथ जनप्रतिनिधियों की भी जवाबदेही है कि वे ऐसा कोई कार्य नहीं होने दे जो जनहित में नहीं है. वहीं पिछले देर रात नगर परिषद कार्यालय से विज्ञप्ति जारी कर होल्डिंग टैक्स को लेकर कार्यालय से संपर्क करने को कहा गया है. संघर्ष के लिए जारी रखने के उद्देश्य से सम्राट कुमार, मनीष कुमार एवं महेश चौधरी को मंच का संरक्षक, महेश प्रसाद साह को अध्यक्ष रमण प्रसाद, मदन प्रसाद, सुरेन्द्र चौधरी, मनोज कुमार शर्मा, शैलेंद्र कुमार चौधरी, ललित झा, राजकिशोर ठाकुर को उपाध्यक्ष बनाया गया.